



कार्यालय—प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611



संयुक्त वृद्धावन

ONE EARTH - ONE FAMILY - ONE FUTURE

पत्रांक— 2284 /12-1 देहरादून : दिनांक: 20 मार्च, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय:—जनपद—अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या—309 ए किमी0 171.00 से किमी0 206.00 (बेरीनाग—चकौड़ी—काण्डा—बागेश्वर—ताकुला—अल्मोड़ा) दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।

(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ:— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या—8बी0/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ0सी0/03 दिनांक 03.04.2024

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र को अवलोकन करने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयोंकित प्रकरण में कतिपय बिन्दुओं की सूचना चाही गयी है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा की पत्र संख्या2124/12-1(2) दिनांक 25-02-2025 (प्रति संलग्न) के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई सूचना निम्न प्रकार प्रेषित है:—

क्र. सं.	आपत्तियाँ	उत्तरालेख
1	The DFO, Almora froest Division is requited to inspect the CA area and submit the detailed repost of suitability of the area for raising plantation @ 1000 trees per bectare if the same is not replaced with some other area of additional area may be proposed accomodate the remaining trees.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि सी0ए0 स्थल परिवर्तित कर नवीन सी0ए0 स्थल का चयन करते हुए सम्बन्धित अभिलेख ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। (संलग्नक-01)
2	Since the proposal is afficting huge number of trees I.e 5981 trees (including 3095 saplings), it is requested to minimize the nimber of trees to be felled in the proposal. Acommittee shall be constituted under the chairmanship of concerned DFO and representative of the project Authority who will assess the requirement of felling during the construction and order to cut the trees accordingly in order to avoid blanket felling. the same may also be communicated the regional office.	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के के क्रम मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309ए के किमी0 170 से 206 तक मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण में अधिक पेड़ों (5981 न0) का पातन प्रस्तावित होने के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 5056/12-1(2) दिनांक 24.04.2024 द्वारा पेड़ों का पातन न्यून किये जाने के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों अधिशासी अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, उपप्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 03.05.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

		संयुक्त निरीक्षण में पाया गया है कि मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में एक तरफ हिल साईड व दूसरी तरफ खड्ड साईड है। मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण हेतु गठित वन भूमि प्रस्ताव में पेड़ों के न्यून पातन को दृष्टिगत रखते हुए ही तत्समय मार्ग का समरेखन निर्धारित किया गया है, चूँकि मार्ग पूर्व निर्मित है, जिसका दो लेन में चौड़ीकरण प्रस्ताव है। अगर वैकल्पिक समरेखण पर विचार किया जाता है तो और अधिक पेड़ों के प्रभावित होने की सम्भावना है। संयुक्त निरीक्षण आख्या संलग्न कर मार्ग चौड़ीकरण हेतु पूर्व में चिन्हित 5981 न0 पेड़ों का पातन किया जाना आवश्यक है। (संलग्नक-02)
3	State government is also requested to submit the Wildlife mitigation plan in the proposal,	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि अनुमोदित Wildlife mitigation plan संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (संलग्नक-03)
4	इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर- वन भूमि के स्थान पर अवगत वन भूमि पर प्रस्तावित है, परन्तु वन(संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम 2023 के पैरा 16(8) (ii) अनुसार 'any provision of the extant rules will be applicable in the proposals which are yet to be granted in-principle approval under the adhiniyam' अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर वन भूमि का चयन कर प्रेषित करने का कष्ट करे।	प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के द्वारा वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, अल्मोड़ा के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भारत सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में जिलाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्र दिनांक 15.01.2025 द्वारा तहसील सल्ट व भिकियासैण में 36.81 है0 भूमि उपलब्ध करायी गयी, जिसका वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। चयनित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या KML file digital map, Geo refrance map, DSS report संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है (संलग्नक-04)

अतः अनुरोध है वन संरक्षक कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 यथासंशोधित 2023 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।
संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,
(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या 2284 / 12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के पत्रांक 2124/12-1 (2) दिनांक 25.02.2025 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।
3. अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

(1) 18

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2124 / 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25-02-2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय सं० 309 ए० के किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में।(प्रस्ताव सं०-151120/2022)

सन्दर्भ :- भारत सरकार की पत्र संख्या- 8बी/यू०सी०पी०/०६/८०/२०२२/एफ०सी०/दि० 03.04.2022

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा, के पत्रांक- 4014/12-1(2) दिनांक- 17.02.2025 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- (तीन प्रतियों में)।

सा० अधीन प्रभाग अल्मोड़ा
आ० सा० से

भवदीय

प्र० अधीन प्रभाग अल्मोड़ा
५-3-25

डॉ. धीरज पाण्डेय
मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

वन संरक्षण व वन संरक्षण
वन संरक्षण व वन संरक्षण
पत्रांक सं० 3822
पत्रांक सं० 121
दिनांक 11-3-25

कायालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962 230065, फ़ैक्स: 05962 232182ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com
पत्रांक 4014 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 17/02/2025

सेवा में,

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाँऊ वृत्त, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण के संबंध में।
(प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ- अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत का पत्रांक 153/1 सी० दिनांक 27.01.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रस्तावक विभाग से प्राप्त किये जाने के उपरान्त निम्नवत बिन्दुवार आपत्ति प्रत्युत्तर प्रेषित किया जा रहा है-

क्र०सं०	आपत्तियाँ	निराकरण
1	The DFO, Almora Forest Division is required to inspect the CA area and submit the detailed report of suitability of the area for raising plantation @ 1000 trees per hectare. if the same is not found suitable, the same is required to be replaced with some other area of additional area may be proposed accommodate the remaining trees.	सी०ए० स्थल परिवर्तित कर नवीन सी०ए० स्थल का चयन करते हुए समल्लित अभिलेख संलग्न कर ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रेषित किये जा रहे हैं।
2	Since the proposal is afflicting huge number of trees i.e 5981 trees (including 3095 saplings), it is requested to minimize the number of trees to be felled in the proposal. A committee shall be constituted under the chairmanship of concerned DFO and representative of the project Authority who will assess the requirement of felling during the construction and order to cut the trees accordingly in order to avoid blanket felling. The same may also be communicated the regional office.	उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309ए के किमी० 170 से 206 तक मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण में अधिक पेड़ों (5981 नं०) का पातन प्रस्तावित होने के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 5056/12-1(2) दिनांक 24.04.2024 द्वारा पेड़ों का पातन न्यून किये जाने के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित समीति के सदस्यों अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत, उपप्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वन क्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 03.05.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में एक तरफ हिल साइड व दूसरी तरफ खड्ड साइड है। मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण हेतु गठित वन भूमि प्रस्ताव में पेड़ों के न्यून पातन को दृष्टिगत रखते हुए ही तत्समय मार्ग का समरेखन निर्धारित किया गया है, चूँकि मार्ग पूर्व निर्मित है जिसकार दो लेन में चौड़ीकरण प्रस्ताव है। अगर वैकल्पिक समरेखन पर विचार किया जाता है तो ओर अधिक पेड़ों के प्रभावित होने की सम्भावना है। (संयुक्त निरीक्षण की आख्या संलग्न-01 पृष्ठ)। मार्ग चौड़ीकरण हेतु पूर्व

		में चिन्हित 5981 नं० पेड़ों का पातन किया जाना आवश्यक है।
3	State government is also requested to submit the wildlife mitigation plan in the proposal.	अनुमोदित wild life mitigation plan संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।
4	इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह पाया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 16(8) (ii) अनुसार 'any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted in-principle approval' under the adhiniyam' अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर वन भूमि का चयन कर प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहली के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के पत्रांक 1754(1)/26 एफ0सी0/2024-25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा तहसील सल्ट व भिकियासैण में 36.81 है० भूमि उपलब्ध करयी गयी, जिसका वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। चयुनित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या, KML file, digital map, Geo refrance map, DSS report संलग्न है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

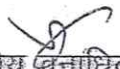
उक्त के क्रम में आपसे निवेदन है कि उक्त महत्वपूर्ण प्रकरण में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।

पत्रांक 40/4/12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, रा0रा0खण्ड, लो0नि0वि0रानीखेत को सूचनार्थ प्रेषित।


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग, रानीखेत।

पत्रांक:-153 / 12 27-01-2024

दिनांक: 27/01/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा, वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

विषय :-

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए (रामेश्वर-गंगोलीहाट-बेरीनाग-चौकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला-अल्मोड़ा मोटर मार्ग) के किमी 170 से 206 तक मार्ग का दो लेन चौड़ीकरण हेतु 18.405 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में। (ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ :-

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी०/यू०सी०पी०/०६/८०/२०२२/एफ.सी. दिनांक 03.04.2022

महोदय,

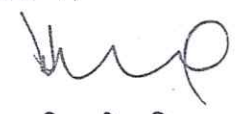
उपरोक्त विषयक वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा वन भूमि प्रस्ताव में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि का चयन गैर वन भूमि में किये जाने, मार्ग चौड़ीकरण में अधिक पेड़ों (5981 नं०) के पातन हेतु प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में समीति का गठन कर परीक्षण किये जाने व Wild Life Mitigation Plan Submitte किये जाने इत्यादि कमियाँ इंगित की गई है। उक्त संदर्भित पत्र में लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है :-

क्र.सं.	आपत्तियाँ	खण्ड द्वारा आपत्तियों का निराकरण
1	The DFO, Almora Forest Division is required to inspect the CA area and submit the detailed report of suitability of the area for raising plantation @ 1000 trees per hectare. If the same is not found suitable, the same is required to be replaced with some other area of additional area may be proposed accommodate the remaining trees.	प्रकरण वन विभाग से सम्बन्धित है।
2	Since the proposal is affecting huge number of trees i.e. 5981 trees (including 3095 saplings), it is requested to minimize the number of tree to be felled in the proposal. A committee shall be constituted under the chairmanship of concerned DFO and representative of the Project Authority who will assess the requirement of felling during the construction and order to cut the trees accordingly in order to avoid blanket felling. The same may also be communicated to the Regional Office.	उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309ए के किमी 170 से 206 तक मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण में अधिक पेड़ों (5981 नं०) का पातन प्रस्तावित होने के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक 5056/12-1(2) दिनांक 24.04.2024 द्वारा पेड़ों का पातन न्यून किये जाने के दृष्टिगत प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में गठित समीति के सदस्यों अधिशासी अभियन्ता, रा०मा० खण्ड लो०नि०वि०, रानीखेत, उपप्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा, वनाक्षेत्राधिकारी, अल्मोड़ा, राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ दिनांक 03.05.2024 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में एक तरफ हिल साइड व दूसरी तरफ खड्ड साइड है। मार्ग के दो लेन चौड़ीकरण हेतु गठित वन भूमि प्रस्ताव में पेड़ों के न्यून पातन को दृष्टिगत रखते हुए ही तत्समय मार्ग का समरेखन निर्धारित किया गया है, चूँकि मार्ग पूर्व निर्मित है जिसका दो

		लेन में चौड़ीकरण प्रस्ताव है। अगर वैकल्पिक समरेखन पर विचार किया जाता है तो और अधिक पेड़ों के प्रभावित होने की सम्भावना है। (संयुक्त निरीक्षण की आख्या संलग्न-01 पृष्ठ)। मार्ग चौड़ीकरण हेतु पूर्व में चिह्नित 5981 नं० पेड़ों का पातन किया जाना आवश्यक है।
3	State Government is also requested to submit the Wildlife Mitigation Plan in the Proposal.	वन भूमि प्रस्ताव में Wild Life Mitigation Plan Submit किये जाने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही वन विभाग द्वारा की जानी है।
4	इसके अतिरिक्त प्रस्ताव में यह पाया गया कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र गैर-वन भूमि के स्थान पर अवनत वन भूमि पर प्रस्तावित है। परन्तु, वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का चयन गैर-वन भूमि पर आवश्यकता है एवं वन (संरक्षण एवं संवर्धन) नियम, 2023 के पैरा 16 (8) (ii) अनुसार 'Any provision of the extant rules will be applicable on the proposals which are yet to be granted 'in-principle approval' under the adhiniyam'। अतः राज्य सरकार से यह अनुरोध है कि वह क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त गैर-वन भूमि का चयन कर प्रेषित करने का कष्ट करें।	वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा के पत्रांक 1754(1)/छबीस-एफ0सी0/2024-25 दिनांक 15.01.2025 द्वारा तहसील सल्ट व भिकियासैण में 2X18.405 = 36.81 है० भूमि उपलब्ध करायी गयी, जिसका वन विभाग, राजस्व विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर लिया गया है। चयनित स्थल की संयुक्त निरीक्षण आख्या KML File, Digital Map, Geo refrance Map, DSS Report संलग्न है। यह भी अवगत कराना है कि वृक्षारोपण पूर्व में CA Land हेतु चिह्नित Degraded forest land में प्रस्तावित किया गया था। अतः तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। सैद्धान्तिक स्वीकृति उपरान्त सल्ट व भिकियासैण में उपरोक्तानुसार आवंटित सिविल भूमि 36.61 है० को प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की कार्यवाही की जानी है।

अतः सादर अनुरोध है कि विषयक प्रकरण में वन विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु संलग्न KML File, Digital Map व Georeference Map प्रतिहस्ताक्षर कर इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न- :- Kml File, Digital Map, Georeference Map 06 प्रतियों में।


 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

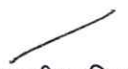
पत्रांक:- /

दिनांक: २७/०१/२०२४ ५

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियन्ता, रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, हल्द्वानी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी महोदय, अल्मोड़ा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- सहायक अभियन्ता षष्ठम, रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

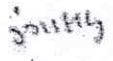

 अधिशासी अभियन्ता
 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० रानीखेत।

प्रस्ताव का नाम—राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 के
रामेश्वर—गंगोलीहाट—बेरीनाग—चकोड़ी—काण्डा—बागेश्वर—
ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू—लेन में चौड़ीकरण लम्बाई
36.00 कि०मी०(प्रस्ताव सं० 151120/2022)।

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि द्वाराहाट वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित ग्राम सिलिंग ढूंगा टाना की 7.687 है०, ग्राम कमराड़ की 5.424 है०, ग्राम सिनार की 12.127 है०, ग्राम बाजन धमेड़ी(कपोली) की 6.276 है० भूमि व मोहान वन क्षेत्र की ग्राम बौड मल्ला की 6.881 है० भूमि, कुल 38.39 है० में मुख्यतः स्थानीय प्रजातियों के रोपण के साथ ए०एन०आर० कार्य व मृदा संरक्षण कार्य ही किया जाना संभव है। उक्त के साथ क्षतिपूरक वृक्षारोपण की उपयुक्तता प्रमाणित की जाती है।


वन क्षेत्र अधिकारी
द्वाराहाट


वन क्षेत्र अधिकारी
मोहान वन क्षेत्र, मोहान


प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।



प्राक्कलन बावत क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 के किमी० 171.00 से 208.00 (बिरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-हागेश्वर-साकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण।
ग्राम सिलिंग दुंगा टना की 7.678 है०, ग्राम कमराड़ की 5.424 है०, ग्राम सिनार की 12.127 है० तथा ग्राम बाजन धमेडी की 6.276 है० भूमि)

क्षेत्रफल- 31.514 है०,
जी०पी०एस०

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 34665

क्र.सं.	कार्य का विवरण	नपत/साइज			संख्या/माना	ईकाई	दर	घनराशि
		ल०	चौ०	ऊँ				
2.7.1.1	साइड स्पेसिफिक प्लान तैयार करना				31.514	प्रति है०	1453.00	45789.84
2.7.1.2	क्षेत्र की सफाई				31.514	प्रति है०	1259.00	39676.13
2.7.1.3	चैनलिंग बायर से घेरबाड़ कार्य				31.514	प्रति है०	359990.00	11344724.86
2.7.1.4	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित)				41598	प्रति पौध	15.90	661408.20
2.7.1.5	गड्डा खुदाय कार्य	0.30	0.30	0.45	34665	प्रति गड्डा	15.80	547707.00
2.7.1.6	भूमि संरक्षण कार्य कन्टर फर्/चाल खाल निर्माण				31.514	प्रति है०	28750.00	906027.50
2.7.1.7	निरीक्षण बटिया निर्माण				31.514	प्रति है०	1046.00	32963.64
	उप योग -							13578297.17
2.7.1.8	वनीकरण क्षेत्र में अन्य वानस्पतिक भू० एवं जल संरक्षण विकास एवं अनुरक्षण कार्य - 2%					प्रति है०		271565.94
2.7.1.9	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50%				1.924	प्रति है०		67891.49
2.7.1.10	श्रम कल्याण कार्य - 0.50%				1.924	प्रति है०		67891.49
2.7.1.11	अन्य आकस्मिक व्यय - 2%				1.924	प्रति है०		271565.94
	प्रथम वर्ष का योग							14257212.03
	द्वितीय वर्ष - वृक्षारोपण कार्य							
2.7.2.1	गड्डा नरान				34665	प्रति गड्डा	2.48	85969.20
2.7.2.2	कन्टर फर् में बीज बुझाई				14181	प्रति र०मी०	1.50	21271.50
2.7.2.3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित)				41598	प्रति पौध	2.70	112314.60
2.7.2.4	पौध डुलान (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित)							
2.7.2.4.1	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित				41598	प्रति पौध	12.17	506247.66
2.7.2.4.2	स्तर बोझ डुलान 3 किमी०				41598	प्रति पौध	8.16	339439.68
2.7.2.5	पौध रोपण				34665	प्रति पौध	4.44	153912.60
2.7.2.6	निराई-गुड़ाई प्रथम बार				34665	प्रति पौध	1.64	56850.60
2.7.2.7	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार				34665	प्रति पौध	1.64	56850.60
2.7.2.8	खाद/रसायन				34665	प्रति पौध	0.45	15599.25
2.7.2.9	देख रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह				31.514	प्रति है०	20568.00	648179.95
2.7.2.10	सुरक्षा दीवार घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना				31.514	प्रति है०	318.00	10021.45
2.7.2.11	वृक्षारोपण अन्तर्गत प्राकृतिक रूप से चुने पौधों में सिंगलिंग प्रूनिंग व थावालाबन्दी कार्य (100 प्रति है०)				31.514	प्रति है०	26.67	840.48
2.7.2.12	वृक्षारोपण क्षेत्र अन्तर्गत प्रति है० 450 कटिंग का रोपण कार्य				31.514	प्रति है०	1.50	47.27
	उप योग -							2007544.84

27.2.13	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1%		31.514	प्रति है०		20075.45
27.2.14	श्रम कल्याण कार्य - 0.50%			प्रति है०		10037.72
27.2.15	अन्य आकस्मिक व्यय - 2%			प्रति है०		40150.90
27.2.16	साईन बोर्ड लगाना (3x4फीट)कम्प्लीट कार्य		31.514	प्रति है०	1000.00	31514.00
	द्वितीय वर्ष का योग					2109322.91
	तृतीय वर्ष अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)					
27.3.1	देख रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 12 माह		31.514	प्रति है०	30852.00	972269.93
27.3.2	20 प्रतिशत पौधों की क्षतिपूर्ति		6933	प्रति पौध	38.93	269901.69
27.3.3	निराई-गुड़ाई प्रथम बार		34665	प्रति पौध	1.64	56850.60
27.3.4	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार		34665	प्रति पौध	1.64	56850.60
27.3.5	सुरक्षा दीवार घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		31.514	प्रति है०	318.00	10021.45
	चतुर्थ वर्ष का योग -					1365894.27
27.3.6	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1%			प्रति है०		13658.94
27.3.1.7	श्रम कल्याण बीज आदि कार्य - 0.50%			प्रति है०		6829.47
27.3.1.8	अन्य आकस्मिक व्यय - 2%			प्रति है०		27317.89
	तृतीय वर्ष का योग -					1413700.57
	चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)					
27.4.1	देख रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 12 माह		31.514	प्रति है०	30852.00	972269.93
27.4.2	सुरक्षा दीवार घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		31.514	प्रति है०	318.00	10021.45
	चतुर्थ वर्ष का योग -					982291.38
27.4.3	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1%			प्रति है०		9822.91
27.4.4	श्रम कल्याण कार्य - 0.50%			प्रति है०		4911.46
27.4.5	अन्य आकस्मिक व्यय - 2%			प्रति है०		19645.83
	चतुर्थ वर्ष का योग -					1016671.58
27.5	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)					
27.5.1	देख रेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 12 माह		31.514	प्रति है०	30852.00	972269.93
27.5.2	सुरक्षा दीवार घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना		31.514	प्रति है०	318.00	10021.45
	चतुर्थ वर्ष का योग -					982291.38
27.5.4	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 1%					9822.91
27.5.5	श्रम कल्याण कार्य - 0.50%					4911.46
27.5.6	अन्य आकस्मिक व्यय - 2%					19645.83
	पंचम वर्ष का योग -					1016671.58
27.6	षष्ठम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)					
27.6.1	उपरोक्तानुसार		31.514	प्रति है०		1016671.58
	षष्ठम वर्ष का योग -					1016671.58
27.7	सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)					
27.7.1	उपरोक्तानुसार		31.514	प्रति है०		1016671.58
	सप्तम वर्ष का योग -					1016671.58
27.8	अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)					
27.8.1	उपरोक्तानुसार		31.514	प्रति है०		1016671.58
	अष्टम वर्ष का योग					1016671.58
27.9	नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)					

27.9.1	उपरोक्तानुसार				31.514	प्रति हे०		1016671.58
	नवम वर्ष का योग -							1016671.58
27.10	दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)							
27.10.1	उपरोक्तानुसार				31.514	प्रति हे०		1016671.58
	दशम वर्ष का योग -							1016671.58
27.11	एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)							
27.11.1	उपरोक्तानुसार				31.514	प्रति हे०		1016671.58
	एकादश वर्ष का योग -							1016671.58
27.12	द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)							
27.12.1	उपरोक्तानुसार				31.514	प्रति हे०		1016671.58
	द्वादश वर्ष का योग -							1016671.58
	कुल योग-							26930279.73
	व्यय सार							
	प्रथम वर्ष-अग्रिम मूदा कार्य							14257212.03
	द्वितीय वर्ष- वृक्षारोपण कार्य							2109322.91
	तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य (प्रथम वर्ष)							1413700.57
	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य (द्वितीय वर्ष)							1016671.58
	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (तृतीय वर्ष)							1016671.58
	षष्ठ वर्ष-अनुरक्षण कार्य (चतुर्थ वर्ष)							1016671.58
	सप्तम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (पंचम वर्ष)							1016671.58
	अष्टम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (षष्ठम वर्ष)							1016671.58
	नवम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (सप्तम वर्ष)							1016671.58
	दशम वर्ष-अनुरक्षण कार्य (अष्टम वर्ष)							1016671.58
	एकादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (नवम वर्ष)							1016671.58
	द्वादश वर्ष-अनुरक्षण कार्य (दशम वर्ष)							1016671.58
	योग							26930279.73

प्रभागिय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

उप प्रभागिय वनाधिकारी
अल्मोड़ा

वन क्षेत्रियकारी
द्वाराहाट वन क्षेत्र

प्रायकलन बावत

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा के पत्रांक-3871/12-1(2) दिनांक-7.02.2025 के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-309 ए० के कि०मी० 171.00 से 208.00 (देरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण प्रस्ताव (सं०-FP/UK/ROAD/151120/2022) के सापेक्ष मोहन वन क्षेत्र में चयनित सी०ए० भूमि ग्राम-बौड़ मल्ला की 6.881 है० सिविल भूमि की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

क्र०सं० SOR के अनुसार	कार्य विवरण (वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा के स्थाई आदेश सं०- 1065/ 9-3 (1) दिनांक अल्मोड़ा, 28.10.2024 के अनुसार)	प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिये			6.881 है० के लिये
		ईकाई	दर	घनराशि	घनराशि
1	2	3	4	5	6
3	सहायतित प्राकृतिक पुनरोत्पादन				
3.1	प्रथम वर्ष				
3.1.1	सर्वे प्लॉट का चिह्निकरण एवं सीमांकन (प्रति है० में 0.10 है० के 5 प्लॉट, पत्येक प्लॉट 4 पिलरो से घिरा रहेगा)	प्रति है०	325.00	325.00	2236.33
3.1.2	जैव विविधता व पुर्न उत्पादन सर्वेक्षण	प्रति है०	260.00	260.00	1789.06
3.1.3	साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमांडेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)	प्रति है०	1453.00	1453.00	9998.09
3.1.4	क्षेत्र की सफाई	प्रति है०	1259.00	1259.00	8663.18
3.1.5	घेरबाड़ कार्य				
3.1.5.1	कुली बाल (100 घ०मी० प्रति है० 193 र०मी० प्रति है०)	प्रति घ०मी०	679.00	67900.00	467219.90
3.1.5.1	कॉटेदार तारबाड़ (100 घ०मी०)				
3.1.6	भूमि संरक्षण कार्य 1-कन्टूर फरे 900 र०मी० (900x35=31500) औसत साईज-1x0.30x0.30 2- बाल-खाल 2 सं० (2x6500=13000) औसत साईज-4x2.5x1.00 कुल योग-44500	प्रति है०	44500.00	44500.00	306204.50
3.1.7	बॉज/बॉज सहचरी/साल/साल सहचरी/चीड़ क्षेत्रों में सहचरी (बॉज/काफल/फल्यांट/बुर्रांश) हैज नुमा पौधों का सिगलिंग कार्य 150 पौध	प्रति है०	15.80	2370.00	16307.97
3.1.8	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की थावलाबंदी तथा मल्लिंग एक बार 200 पौध	प्रति है०	4.44	888.00	6110.33
3.1.9	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुड़ाई प्रथम बार 200 पौध	प्रति है०	1.64	328.00	2256.97
3.1.10	उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुड़ाई द्वितीय बार 200 पौध	प्रति है०	1.64	328.00	2256.97
3.1.11	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 240 पौध		15.90	3816.00	26257.90
3.1.12	गडडा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45)	प्रति गडडा	15.80	3160.00	21743.96
3.1.13	निरीक्षण दटिया	प्रति है०	1046.00	1046.00	7197.53
3.1.14	खाद/रसतयन	प्रति पौध	0.45	90.00	619.29

5/11/25

वन क्षेत्र अधिकारी
अल्मोड़ा

3.1.15	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है० पर) (12855 दर से 8 माह)/ 10 है०=10284	प्रति है०	10284.00	10284.00	70764.20
	उप-योग			138007.00	949676.17
			या	138010.00	949646.81
3.1.16	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			690.05	4748.71
3.1.17	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			690.05	4748.71
3.1.18	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			2760.2	18992.94
	प्रथम वर्ष का योग			142150.30	978136.21
			या	142160.00	978202.96
3.2	द्वितीय वर्ष-				
3.2.1	गडडा भरान	प्रति गडडा	2.58	496.00	3412.98
3.2.2	कन्दूर फरों में बीज बुआई	प्रति रोमी०	1.50	1350.00	9289.35
3.2.3	पौध की कीमत (20 प्रतिशत क्षतिपूरक सहित) 240 पौध	प्रति पौध	2.70	648.00	4458.89
3.2.4	पौध बुलान				
3.2.4.1	वाहन द्वारा 50 किमी० दूरी से लोडिंग व अनलोडिंग सहित	प्रति पौध	12.17	2920.80	20098.02
3.2.4.2	सिरबोज बुलान 3 कि०मी०	प्रति पौध	8.16	1958.40	13475.75
3.2.5	पौध रोपण	प्रति पौध	4.44	888.00	6110.33
3.2.6	निराई-गुड़ाई प्रथम बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00	4513.94
3.2.7	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00	4513.94
3.2.8	खाद/रसायन (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	0.45	180.00	1238.58
3.2.9	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/ 10 है०=15426	है०	15426.00	14426.00	99265.31
3.2.10	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00	2188.16
	उप-योग			25497.20	175446.23
			या	25500.00	175465.50
3.2.11	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			127.50	877.33
3.2.12	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			255.00	1754.66
3.2.13	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			510.00	3509.31
	द्वितीय वर्ष का योग			26392.50	181606.79
		या		26390.00	181589.59
3.3	तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
3.2.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10 है० पर) (12855 दर से 12 माह)/ 10 है०=15426	है०	15426.00	15426.00	106146.31
3.2.2	निराई-गुड़ाई प्रथम बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00	4513.94
3.2.3	निराई-गुड़ाई द्वितीय बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00	4513.94
3.2.4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	प्रति है०	318.00	318.00	2188.16
	उप-योग			17056.00	117362.34

जिस

नया योजना कार्य

			या	17060.00	117389.86
3.2.5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			85.30	586.95
3.2.6	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			170.60	1173.90
3.2.7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			341.20	2347.80
	तृतीय वर्ष का योग			17657.10	121498.51
			या	17660.00	121518.46
3.4	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
3.4.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/10 है0=15426	है0	15426.00	15426.00	106146.31
3.4.2	निराई-गुडाई प्रथम बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00	4513.94
3.4.3	निराई-गुडाई द्वितीय बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00	4513.94
3.4.4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	318.00	318.00	2188.16
	उप-योग			17056.00	117362.34
			या	17060.00	117389.86
3.4.5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			85.30	586.95
3.4.6	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			170.60	1173.90
3.4.7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			341.20	2347.80
	चतुर्थ वर्ष का योग			17657.10	121498.51
			या	17660.00	121518.46
3.5	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य				
3.5.1	देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह (कम से कम 10 है0 पर) (12855 दर से 12 माह)/10 है0=15426	है0	15426.00	15426.00	106146.31
3.5.2	निराई-गुडाई प्रथम बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00	4513.94
3.5.3	निराई-गुडाई द्वितीय बार (200 पौध प्राकृतिक 200 पौध रोपित)	प्रति पौध	1.64	656.00	4513.94
3.5.4	सुरक्षा दीवाल/घेरबाड के बाहर 4 मी0 पट्टी साफ करना	प्रति है0	318.00	318.00	2188.16
	उप-योग			17056.00	117362.34
			या	17060.00	117389.86
3.5.5	मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण- 0.50 प्रतिशत			85.30	586.95
3.5.6	श्रम कल्याण जैसे बीमा आदि कार्य-0.50 प्रतिशत			170.60	1173.90
3.5.7	अन्य आकस्मिक व्यय- 2 प्रतिशत			341.20	2347.80
	पंचम वर्ष का योग			17657.10	121498.51
		या		17660.00	121518.46
	व्यय सार				
				142160.00	978202.96
3.1	प्रथम वर्ष			26390.00	181589.59
3.2	द्वितीय वर्ष-			17660.00	121518.46
3.3	तृतीय वर्ष-अनुरक्षण कार्य			17660.00	121518.46
3.4	चतुर्थ वर्ष-अनुरक्षण कार्य			17660.00	121518.46
3.5	पंचम वर्ष-अनुरक्षण कार्य			221530.00	1524347.93
	योग प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ष				1524350.00
	या पन्द्रह लाख चौबीस हजार तीन सौ पचास रुपये मात्र				

प्रशासक बनाविकारं
प्रबोद्धा वन प्रवास प्रबन्धक

या प्रेमाधिकारी

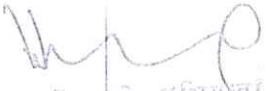
संयुक्त निरीक्षण आख्या

जनपद अल्मोड़ा के अर्न्तगत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 'ए' के किमी 169 से 206.600 (कनगाड़छीना से अल्मोड़ा) तकमार्ग के टू-लेन चौड़ीकरण हेतु वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत को प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- 8बी/यू0सी0पी0/06/80/2022/एफ0सी0 दिनांक-03.04.2024 द्वारा मार्ग के Alignment में अधिक पेड़ों (5981 नं0) का पातन प्रस्तावित होने के कारण भारत सरकार द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी की अध्यक्षता में पेड़ों का पातन न्यून किये जाने के संबंध में कमेटी का गठन कर आख्या प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिस क्रम में प्रभागीय अधिकारी अल्मोड़ा के पत्रांक-5056/12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक-24.04.2024 द्वारा 03.05.2024 को संयुक्त निरीक्षण की तिथि निर्धारित की गयी।

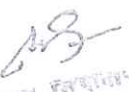
आज दिनांक-03.05.2024 को प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा की अध्यक्षता में अधिशासी अभियन्ता रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, सहायक अभियन्ता रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत, उप प्रभागीय वनाधिकारी अल्मोड़ा, वनक्षेत्राधिकारी अल्मोड़ा, वनक्षेत्राधिकारी बिन्सर अभ्यारण्य, राजस्व विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में संयुक्त निरीक्षण किया गया।

उक्त मार्ग singlelane में पूर्व निर्मित है, जिसका टू-लेन में चौड़ीकरण किये जाने हेतु स्वीकृति प्राप्त है, जिसका Alignment भी स्वीकृत है। मार्ग की सम्पूर्ण लम्बाई में एक तरफ Hill व दूसरी ओर Khad side है। मार्ग के टू-लेन में चौड़ीकरण हेतु गठित वन भूमि प्रस्ताव में पेड़ों के न्यून पातन को दृष्टिगत रखते हुए ही तत्समय मार्ग का Alignment निर्धारित किया गया है। संयुक्त निरीक्षण में समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वन भूमि प्रस्ताव में प्रस्तावित 5981 नं0 पेड़ों का पातन किया जाना आवश्यक है।


District Engineer
P.W.D.
Almora


जुंक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड
लो0नि0वि0 रानीखेत


जुंक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा


जुंक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड
लो0नि0वि0 रानीखेत
जिला-अल्मोड़ा


जुंक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड
लो0नि0वि0 रानीखेत


जुंक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा


जुंक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड
लो0नि0वि0 रानीखेत

संयुक्त निरीक्षण आख्या

अधिशाली अभियन्ता, रा0मा0 खण्ड, लो0नि0वि0, रानीखेत के पत्रांक 1710/10 सी0 दिनांक 21.09.

2024 के क्रम में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309 ए के किमी0 169.00 से किमी0 206.60 तक टू-लेन चौड़ीकरण में प्रभावित हो रही वन भूमि के गैर वानिकी कार्यों में प्रत्यावर्तन हेतु दिनांक 26.09.2024 को मार्ग के Alignment में पड़ने वाले बिनसर वन्य जीव अभ्यारण के सीमांकन हेतु वन विभाग, वन विभाग (सिविल सोयम), लो0नि0वि0, व राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि मार्ग के किमी0 180 से किमी0 187 (गैराड़ बैण्ड) तक बिनसर वन्य जीव अभ्यारण का क्षेत्र मार्ग के Alignment के हिल साइड से प्रारम्भ होकर ऊपर की ओर है। मार्ग के Alignment के Valley Side में वन पंचायत एवं आरक्षित वन भूमि है।

संयुक्त निरीक्षण
26.09.2024

AAE

A.C.

(संयुक्त निरीक्षण)
09.09.24
अभिषेक कुमार

वन विभाग
रानीखेत

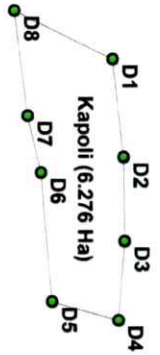
वन विभागाधिकारी
अभिषेक कुमार

महापंचायत वन मण्डल
सिविल सोयम वन विभाग
अभिषेक कुमार

प्रभागीय वन विभागाधिकारी
अभिषेक कुमार

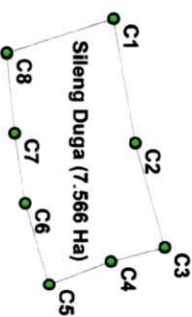
प्रभागीय वन विभागाधिकारी
अभिषेक कुमार

Id	Longitude	Latitude
D1	79° 17' 49.839" E	29° 45' 7.997" N
D2	79° 17' 55.813" E	29° 45' 8.673" N
D3	79° 18' 0.944" E	29° 45' 8.806" N
D4	79° 18' 5.815" E	29° 45' 8.527" N
D5	79° 18' 4.726" E	29° 45' 4.958" N
D6	79° 17' 56.823" E	29° 45' 4.247" N
D7	79° 17' 53.357" E	29° 45' 3.469" N
D8	79° 17' 46.936" E	29° 45' 2.666" N

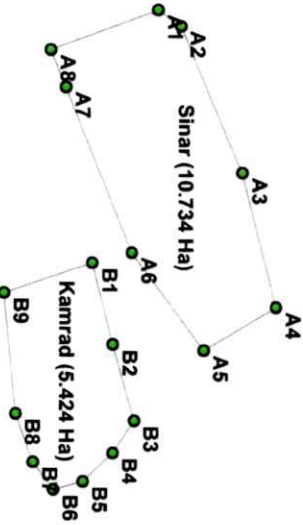


Rameshwar - Gangolihat - Berinag - Chaukori - Kanda - Bagheshwar - Takula - Almora of National Highway - 309A in the States of Uttarakhand for up gradation to Two Lane with Paved Shoulder configuration (Lot-IV) (Package - NH/IAHE/54)
PK-G-V (Existing Km 169 to Km 206) Design Length 37.0 km

Id	Longitude	Latitude
C1	79° 18' 58.558" E	29° 44' 32.204" N
C2	79° 19' 6.105" E	29° 44' 33.461" N
C3	79° 19' 12.523" E	29° 44' 35.125" N
C4	79° 19' 13.443" E	29° 44' 32.243" N
C5	79° 19' 14.943" E	29° 44' 28.928" N
C6	79° 19' 9.896" E	29° 44' 27.569" N
C7	79° 19' 5.603" E	29° 44' 26.939" N
C8	79° 19' 0.729" E	29° 44' 26.471" N



Id	Longitude	Latitude
A1	79° 17' 17.136" E	29° 44' 5.450" N
A2	79° 17' 18.108" E	29° 44' 6.695" N
A3	79° 17' 26.860" E	29° 44' 10.155" N
A4	79° 17' 34.988" E	29° 44' 12.091" N
A5	79° 17' 37.677" E	29° 44' 8.236" N
A6	79° 17' 31.793" E	29° 44' 4.287" N
A7	79° 17' 21.836" E	29° 44' 0.579" N
A8	79° 17' 19.676" E	29° 43' 59.732" N



Id	Longitude	Latitude
B1	79° 17' 32.470" E	29° 44' 2.169" N
B2	79° 17' 37.404" E	29° 44' 3.342" N
B3	79° 17' 42.011" E	29° 44' 4.565" N
B4	79° 17' 43.969" E	29° 44' 3.432" N
B5	79° 17' 45.738" E	29° 44' 1.856" N
B6	79° 17' 46.264" E	29° 44' 0.275" N
B7	79° 17' 44.595" E	29° 43' 59.164" N
B8	79° 17' 41.680" E	29° 43' 58.185" N
B9	79° 17' 34.372" E	29° 43' 57.462" N

अलमोड़ा वन प्रयाग अलमोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
द्वाराहाट वन क्षेत्र
अलमोड़ा वन प्रयाग, अलमोड़ा

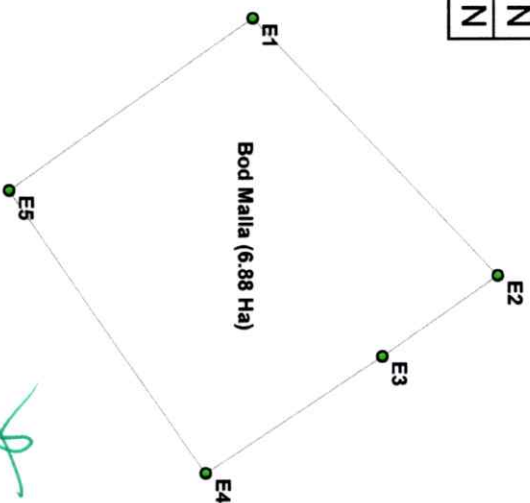
A-E



Executive Engineer
N.H. Division PW
Ranikhet

Id	Longitude	Latitude
E1	79° 9' 44.957" E	29° 34' 58.862" N
E2	79° 9' 52.286" E	29° 35' 5.162" N
E3	79° 9' 54.651" E	29° 35' 2.260" N
E4	79° 9' 58.108" E	29° 34' 57.834" N
E5	79° 9' 50.026" E	29° 34' 52.742" N

Rameshwar - Gangolihat - Berinag - Chaukori - Kanda - Bagheshwar - Takula - Almora of National Highway - 309A in the States of Uttarakhand for up gradation to Two Lane with Paved Shoulder configuration (Lot-IV) (Package - NH/IAHE/54) PKG- V (Existing Km 169 to Km 206) Design Length 37.0 km



प्रयागीय वननिर्देशकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

1/4
acre

सिद्धि
A.E.

श्री श्री श्री
गोहान

वन क्षेत्राधिकारी
गोहान वन क्षेत्र, गोहान



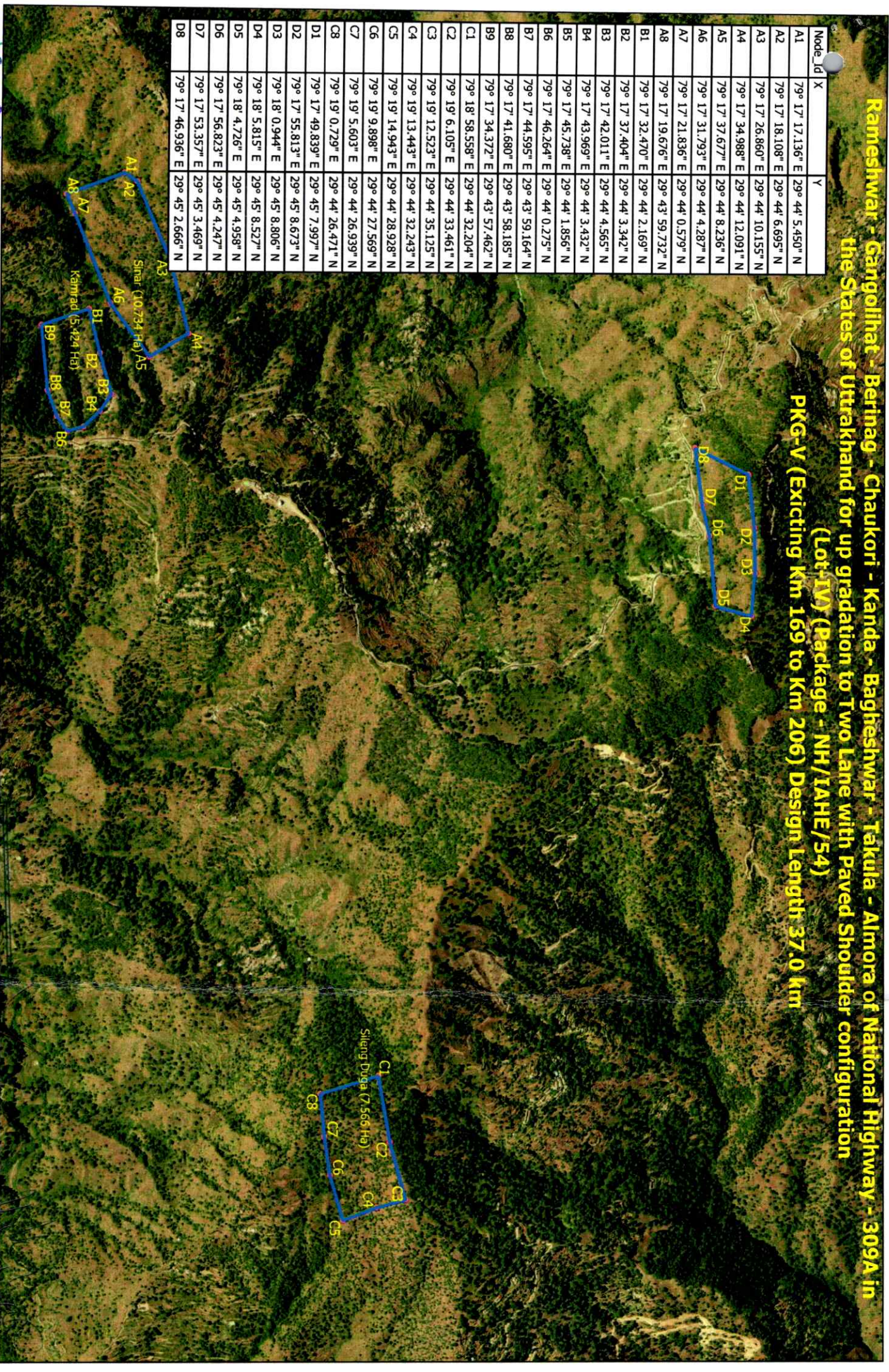
Executive Engineer
N.H. Division P.W.
Ranikhet

Rameshwar - Gangolihat - Berinag - Chaukori - Kanda - Bagheshwar - Takula - Almora of National Highway - 309A in the States of Utrakhnad for up gradation to Two Lane with Paved Shoulder configuration

(Lot-IV) (Package - NH/IAHE/54)

PKG-V (Existing Km 169 to Km 206) Design Length 37.0 km

Node_id	X	Y
A1	79° 17' 17.136" E	29° 44' 5.450" N
A2	79° 17' 18.108" E	29° 44' 6.695" N
A3	79° 17' 26.860" E	29° 44' 10.155" N
A4	79° 17' 34.988" E	29° 44' 12.091" N
A5	79° 17' 37.677" E	29° 44' 8.236" N
A6	79° 17' 31.793" E	29° 44' 4.287" N
A7	79° 17' 21.836" E	29° 44' 0.579" N
A8	79° 17' 19.676" E	29° 43' 59.732" N
B1	79° 17' 32.470" E	29° 44' 2.169" N
B2	79° 17' 37.404" E	29° 44' 3.342" N
B3	79° 17' 42.011" E	29° 44' 4.565" N
B4	79° 17' 43.969" E	29° 44' 3.432" N
B5	79° 17' 45.738" E	29° 44' 1.856" N
B6	79° 17' 46.264" E	29° 44' 0.275" N
B7	79° 17' 44.595" E	29° 43' 59.164" N
B8	79° 17' 41.680" E	29° 43' 58.185" N
B9	79° 17' 34.372" E	29° 43' 57.462" N
C1	79° 18' 58.558" E	29° 44' 32.204" N
C2	79° 19' 6.105" E	29° 44' 33.461" N
C3	79° 19' 12.523" E	29° 44' 35.125" N
C4	79° 19' 13.443" E	29° 44' 32.243" N
C5	79° 19' 14.943" E	29° 44' 28.928" N
C6	79° 19' 9.898" E	29° 44' 27.569" N
C7	79° 19' 5.603" E	29° 44' 26.939" N
C8	79° 19' 0.729" E	29° 44' 26.471" N
D1	79° 17' 49.839" E	29° 45' 7.997" N
D2	79° 17' 55.813" E	29° 45' 8.673" N
D3	79° 18' 0.944" E	29° 45' 8.806" N
D4	79° 18' 5.815" E	29° 45' 8.527" N
D5	79° 18' 4.726" E	29° 45' 4.958" N
D6	79° 17' 56.823" E	29° 45' 4.247" N
D7	79° 17' 53.357" E	29° 45' 3.469" N
D8	79° 17' 46.936" E	29° 45' 2.666" N



Rameshwar - Gangolihat - Berinag - Chaukori - Kanda - Bagheshwar - Takula - Almora of National Highway - 309A in the States of Utrkhand for up gradation to Two Lane with Paved Shoulder configuration

(Lot-IV) (Package - NH/IAHE/54)
PKG-V (Existing Km 169 to Km 206) Design Length 37.0 km

Node_Id	X	Y
E1	79° 9' 44.957" E	29° 34' 58.862" N
E2	79° 9' 52.286" E	29° 35' 5.162" N
E3	79° 9' 54.651" E	29° 35' 2.260" N
E4	79° 9' 58.108" E	29° 34' 57.834" N
E5	79° 9' 50.026" E	29° 34' 52.742" N



प्रभागाय वनाधिकारी
रमेश्वर दल प्रभाग अन्तर्गत
AHE

अ.प्र.
A.C.

सि.प्र.सि.सि.सि.
सि.प्र.सि.सि.सि.

वन अधिकारी
मोहन वन क्षेत्र, मोहन

Royal
HaskoningDHV
HASKONINGDHV CONSULTING PVT. LTD.

अ.प्र.
अ.प्र.

Executive Engineer
M.H. Division P.W.D.
Ranikhet

Rameshwar - Gangolihat - Berinag - Chaukori - Kanda - Bagheshwar - Takula - Almora of National Highway - 309A in the States of Uttarakhand for up gradation to Two Lane with Paved Shoulder configuration (Lot-IV) (Package - NH/IAHE/54) PKG-V (Existing

Km 169 to Km 206) Design Length 37.0 km

Node Id	X	Y
A1	79° 17' 17.136" E	29° 44' 5.450" N
A2	79° 17' 18.108" E	29° 44' 6.695" N
A3	79° 17' 26.860" E	29° 44' 10.155" N
A4	79° 17' 34.988" E	29° 44' 12.091" N
A5	79° 17' 37.677" E	29° 44' 8.236" N
A6	79° 17' 31.793" E	29° 44' 4.287" N
A7	79° 17' 21.836" E	29° 44' 0.579" N
A8	79° 17' 19.676" E	29° 43' 59.732" N
B1	79° 17' 32.470" E	29° 44' 2.169" N
B2	79° 17' 37.404" E	29° 44' 3.342" N
B3	79° 17' 42.011" E	29° 44' 4.565" N
B4	79° 17' 43.969" E	29° 44' 3.432" N
B5	79° 17' 45.738" E	29° 44' 1.856" N
B6	79° 17' 46.264" E	29° 44' 0.275" N
B7	79° 17' 44.595" E	29° 43' 59.164" N
B8	79° 17' 41.680" E	29° 43' 58.185" N
B9	79° 17' 34.372" E	29° 43' 57.462" N
C1	79° 18' 58.558" E	29° 44' 32.204" N
C2	79° 19' 6.105" E	29° 44' 33.461" N
C3	79° 19' 12.523" E	29° 44' 35.125" N
C4	79° 19' 13.443" E	29° 44' 32.243" N
C5	79° 19' 14.943" E	29° 44' 28.928" N
C6	79° 19' 9.898" E	29° 44' 27.569" N
C7	79° 19' 5.603" E	29° 44' 26.939" N
C8	79° 19' 0.729" E	29° 44' 26.471" N
D1	79° 17' 49.839" E	29° 45' 7.997" N
D2	79° 17' 55.813" E	29° 45' 8.673" N
D3	79° 18' 0.944" E	29° 45' 8.806" N
D4	79° 18' 5.815" E	29° 45' 8.527" N
D5	79° 18' 4.726" E	29° 45' 4.958" N
D6	79° 17' 56.823" E	29° 45' 4.247" N
D7	79° 17' 53.357" E	29° 45' 3.469" N
D8	79° 17' 46.936" E	29° 45' 2.666" N



प्रशासकीय बन्धनकारो
रमेश्वर वन प्रशासक बरेश्वर

A-C

347100

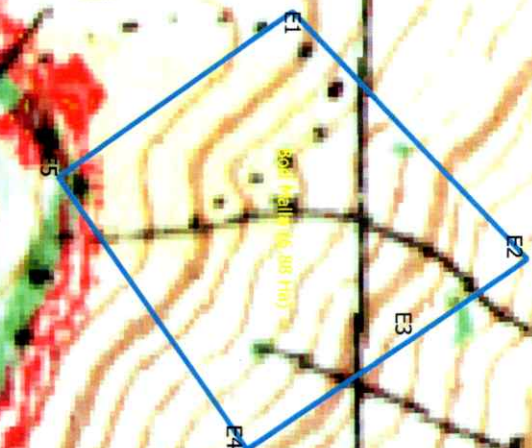
Royal
HaskoningDHV
HASKONINGDHV CONSULTING PVT. LTD.

Executive Engineer
N.H. Division PWD
Ranikhet

Rameshwar - Gangolihat - Berinag - Chaukori - Kanda - Bagheshwar - Takula - Almora of National Highway - 309A in the States of Uttarakhand for up gradation to Two Lane with Paved Shoulder configuration (Lot-IV) (Package - NH/IAHE/54) PKG-V (Existing Km 169 to Km 206) Design Length 37.0 km

Spring

Node_Id	X	Y
E1	79° 9' 44.957" E	29° 34' 58.862" N
E2	79° 9' 52.286" E	29° 35' 5.162" N
E3	79° 9' 54.651" E	29° 35' 2.260" N
E4	79° 9' 58.108" E	29° 34' 57.834" N
E5	79° 9' 50.026" E	29° 34' 52.742" N



Ranikhet
Dispensary

Executive Engineer
N.H. Division PWD
Ranikhet



राजा नर प्रसाद बस्नेत
अ-ए

राजा नर प्रसाद बस्नेत
अ-ए

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट-बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि०मी०

लैण्ड शेड्यूल(संरक्षित वन भूमि)						
जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन प्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई(मी०में)	चौड़ाई (मी०में)	क्षेत्रफल (है०)
अल्मोड़ा	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा	बिन्सर वन क्षेत्र	उत्तरी बिन्सर कक्ष सं० 14	500	6	0.300
अल्मोड़ा	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा	बिन्सर वन क्षेत्र	उत्तरी बिन्सर कक्ष सं० 15	1400	6	0.840
अल्मोड़ा	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा	बिन्सर वन क्षेत्र	उत्तरी बिन्सर कक्ष सं० 16	2200	6	1.320
अल्मोड़ा	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा	बिन्सर वन क्षेत्र	उत्तरी बिन्सर कक्ष सं० 17	2400	6	1.440
अल्मोड़ा	सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा	बिन्सर वन क्षेत्र	उत्तरी बिन्सर कक्ष सं० 18	1565	6	0.939
			योग	8065	6	4.839

(महेन्द्र कुमार)
अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

प्रभागीय वन अधिकारी,
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

कनिष्ठ अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

वन क्षेत्र अधिकारी,
बिन्सर वन क्षेत्र

0025

महायक वन संरक्षक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का दू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि०मी०

लैण्ड शेड्यूल(आरक्षित वन भूमि)						
जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई(मी०में)	चौड़ाई (मी०में)	क्षेत्रफल (हे०)
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा वन क्षेत्र	दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 18	980	6	0.588
			दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 17	750	6	0.450
			कालीमठ कक्ष सं० 4	1200	6	0.720
			कालीमठ कक्ष सं० 10	1050	6	0.630
			कालीमठ कक्ष सं० 7	1520	6	0.912
			कालीमठ कक्ष सं० 6	1000	6	0.600
			कालीमठ कक्ष सं० 5	800	6	0.480
			कालीमठ कक्ष सं० 3	800	6	0.480
					योग	8100
मलवा निस्तारण हेतु याचित क्षेत्र						
अल्मोड़ा	अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	अल्मोड़ा वन क्षेत्र	दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 15	100	25	0.250
			दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 16	200	25	0.500
			दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 17	200	25	0.500
			दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 18	100	25	0.250
			कालीमठ कक्ष सं० 4	100	60	0.600
			कालीमठ कक्ष सं० 10	100	60	0.600
			कालीमठ कक्ष सं० 10	100	60.1	0.601
					योग	
		महायोग			8.161	

by
A-A-E

A-E

(महेन्द्र कुमार)
अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

(दीपक सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
बिन्सर वन्य जीव विहार

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि०मी०

संलग्नक सं०-2.7

परियोजना की लम्बाई-चौड़ाई का विवरण

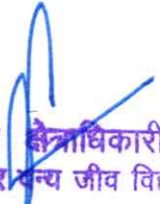
क्रम सं०	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल(हे०में)
1	आरक्षित वन भूमि	8100	6	4.860
2	सिविल सोयम भूमि	1050	6	0.630
3	वन पंचायत भूमि	6425	6	3.855
4	संरक्षित वन भूमि	8065	6	4.839
5	नाप भूमि	12360	6	7.416
	योग	36000	6	21.600


अपर सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिशारी अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा


वन क्षेत्राधिकारी
विनसर/नन्दा जीव विहार

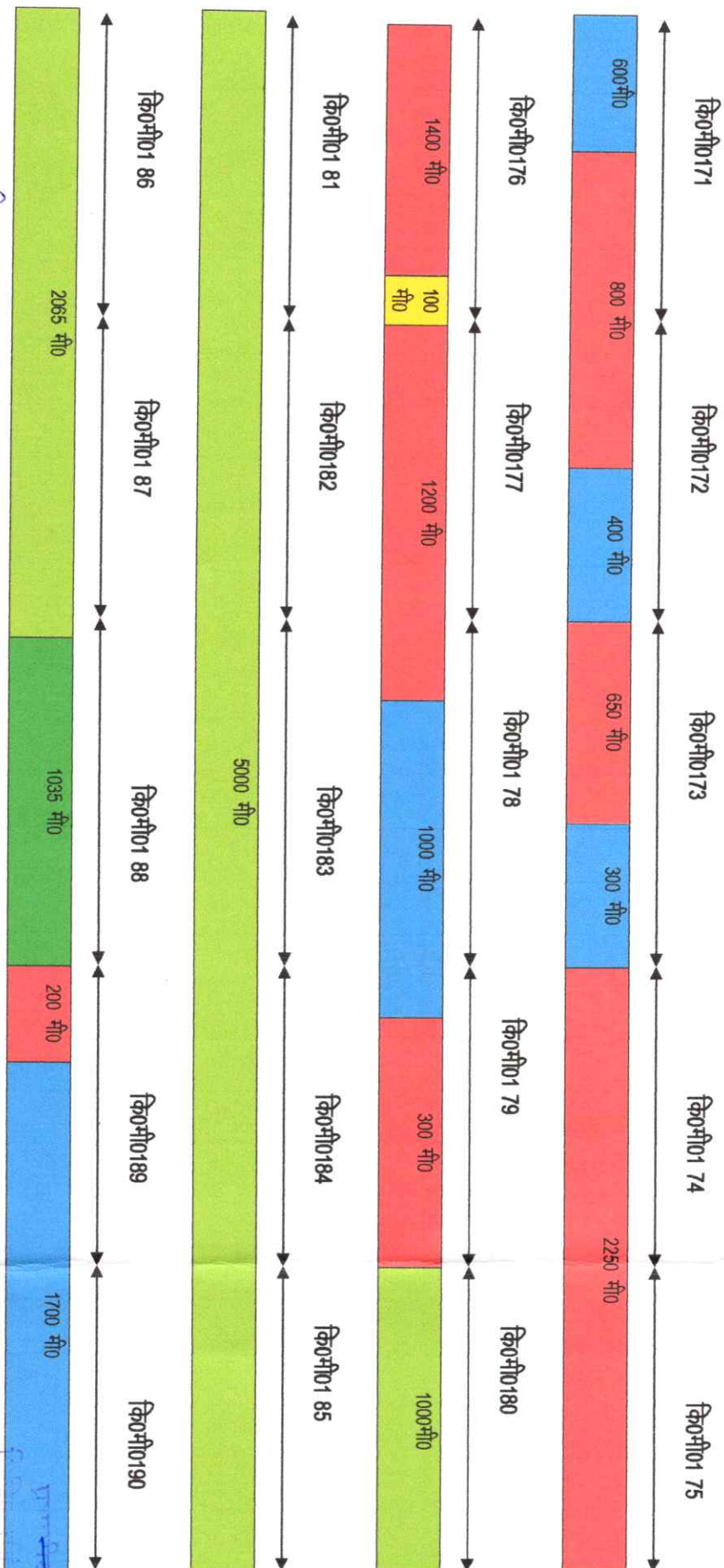

प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा


महायक वन सहायक
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा


प्रभागीय वन क्षेत्राधिकारी
सिविल एवं सोयम वन प्रभाग
अल्मोड़ा

बार चार्ट

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेशीनाग-चकोड़ी-काण्डा- बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण (कि०मी० 171.00 से 206.00) लम्बाई 36.00 कि०मी०



महायक वन प्रभु
परिवहन एवं सार्वजनिक वन प्रभाग
अल्मोड़ा

AAE
N.E.

Executive Engineer
N.H. Division PWD
Ranikhet
वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

प्रधानीय वन अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

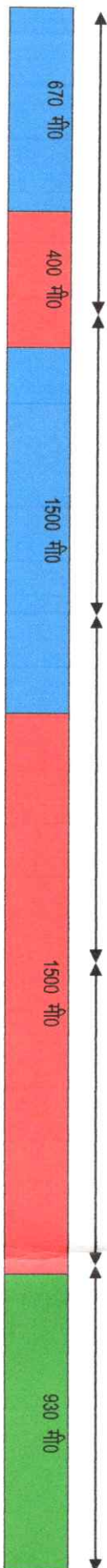
कि०मी० 191

कि०मी० 92

कि०मी० 193

कि०मी० 94

कि०मी० 95



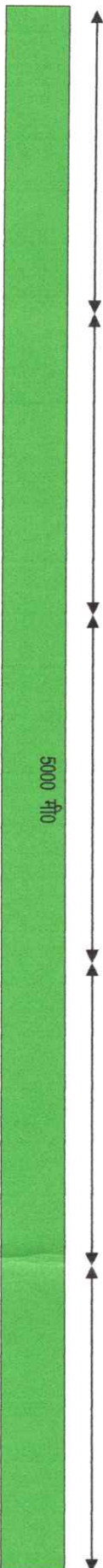
कि०मी० 196

कि०मी० 197

कि०मी० 98

कि०मी० 99

कि०मी० 200



कि०मी० 201

कि०मी० 202

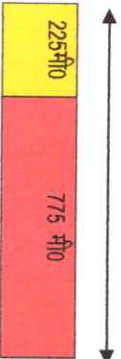
कि०मी० 203

कि०मी० 204

कि०मी० 205



कि०मी० 206



भूमि का प्रकार	क्षेत्रफल	चिन्ह
आरक्षित वन भूमि	4.860	
संरक्षित वन भूमि	4.839	
वन पंथायत भूमि	3.855	
सिखिल बेनाप भूमि	0.630	
नाप भूमि	7.916	

अपर सहायक अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग
लो०नि०वि०, रानीखेत

सहायक अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग
लो०नि०वि०, रानीखेत

अधिकासी अभियन्ता

राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लोक निर्माण विभाग
लो०नि०वि०, रानीखेत

महायक वन सहायक

मिनिव व वन सहायक वन प्रभाग

वन सहायक वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन सहायक वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन सहायक वन प्रभाग अल्मोड़ा

मिनिव व वन सहायक वन प्रभाग

राष्ट्रीय राज मार्ग सं० 309 (A) के कि०मी० सं० 169 से कि०मी० सं० 206.600 (कनगाडहीना से अल्मोड़ा) तक दो लेन में चौड़ीकरण के अन्तर्गत मार्ग के कि०मी० 181 से 187 तक बिन्सर वन्य जीव अभ्यारण क्षेत्र में प्रभावित होने वाले वृक्षों की सूची।

वन क्षेत्र बिन्सर वन्य जीव विहार, सि०सो०च०प्र०अल्मोड़ा वर्ष 2024-25

का नाम	वन का प्रकार	कक्ष / ब्लॉक का नाम	वर्ष												योग
			प्रजाति	0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80 से अधिक			
बिन्सर वन्य जीव	आरक्षित वन	द० बिन्सर कक्ष सं. 18	वीड़	87	94	126	90	9	6	1	-	-	413		
			काफल	1	1	5	9	2	1	1	-	-	20		
			मेहल	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3		
			कोकट	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2		
			अयार	-	2	-	1	-	-	-	-	-	3		
			बुरांश	3	1	-	-	-	-	-	-	-	4		
			बांज	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1		
			योग	93	100	133	100	11	7	2	0	0	446		
			वीड़	79	143	204	174	39	13	1	-	-	653		
			बांज	15	49	21	5	2	2	-	-	-	94		
बिन्सर वन्य जीव	आरक्षित वन	द० बिन्सर कक्ष सं. 17	उलीस	11	21	14	15	8	3	-	-	-	72		
			बुरांश	19	20	-	-	-	-	-	-	-	39		
			काफल	1	19	19	8	-	-	-	-	-	47		
			मेहल	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4		
			अयार	3	3	2	1	-	-	-	-	-	9		
			देवदार	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1		
			योग	128	259	260	203	49	18	1	0	0	919		
			वीड़	219	193	62	40	5	1	-	-	-	520		
			काफल	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3		
			रिमिल	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2		
बिन्सर वन्य जीव	आरक्षित वन	द० बिन्सर कक्ष सं. 16	योग	222	194	63	40	5	1	0	0	0	525		
			वीड़	297	235	140	73	56	21	4	-	-	826		
			बांज	12	9	-	-	-	-	-	-	-	21		
			अयार	7	7	-	-	-	-	-	-	-	14		
			बुरांश	12	1	-	-	-	-	-	-	-	13		
			कोकट	13	2	1	-	-	-	-	-	-	16		
			काफल	5	3	8	1	-	-	-	-	-	17		
			योग	341	254	141	73	56	21	4	0	0	907		
			वीड़	166	103	75	47	28	-	3	-	-	422		
			बांज	35	13	-	-	1	-	-	-	-	49		
बिन्सर वन्य जीव	आरक्षित वन	द० बिन्सर कक्ष सं. 15	बुरांश	4	2	-	-	-	-	-	-	-	6		
			अयार	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
			काफल	14	8	1	3	-	-	-	-	-	26		
			कोकट	25	3	-	-	-	-	-	-	-	28		
			योग	341	254	141	73	56	21	4	0	0	907		
			वीड़	166	103	75	47	28	-	3	-	-	422		
			बांज	35	13	-	-	1	-	-	-	-	49		
			बुरांश	4	2	-	-	-	-	-	-	-	6		
			अयार	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5		
			काफल	14	8	1	3	-	-	-	-	-	26		
कोकट	25	3	-	-	-	-	-	-	-	28					

सि०

A-C

Executive Engineer
N. H. Division PWT
R. H. Division

मलवा निस्तारण स्थलों में प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण
प्रस्तावित वन भूमि पर पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिदार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण

क्रम सं०	भूमि की श्रेणी	वन प्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80 से अधिक		
1	वन पंचायत	चुराड़ी मक बिन्दु 1	चीड़	Pinus roxburghii	3	4	5	3	3	0	0	0	0	18	
		चुराड़ी मक बिन्दु 2	चीड़	Pinus roxburghii	2	3	4	5	1	0	0	0	0	15	
	आरक्षित वन भूमि	दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 15 मक बिन्दु 3	चीड़	Pinus roxburghii	2	6	9	5	2	0	0	0	0	24	
		दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 16 मक बिन्दु 4	चीड़	Pinus roxburghii	4	3	5	3	1	0	0	0	0	16	
		दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 16 मक बिन्दु 5	चीड़	Pinus roxburghii	5	6	3	2	1	0	0	0	0	17	
2		दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 17 मक बिन्दु 6	चीड़	Pinus roxburghii	4	5	6	9	3	0	0	0	0	27	
		दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 18 मक बिन्दु 7	चीड़	Pinus roxburghii	2	8	5	4	0	0	0	0	0	19	
		दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 18 मक बिन्दु 8	चीड़	Pinus roxburghii	0	6	8	4	0	0	0	0	0	18	
		कालीमठ कक्ष सं० 10 मक बिन्दु 9	चीड़	Pinus roxburghii	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	
		कालीमठ कक्ष सं० 9 मक बिन्दु 10	चीड़	Pinus roxburghii	0	20	3	2	0	0	0	0	0	25	
		कालीमठ कक्ष सं० 7 मक बिन्दु 11	चीड़	Pinus roxburghii	0	10	4	0	0	0	0	0	0	14	
		कालीमठ कक्ष सं० 6 मक बिन्दु 12	चीड़	Pinus roxburghii	0	3	4	0	0	0	0	0	0	7	
			कुल योग				22	74	57	39	11	0	0	0	0

by
AAE

AG

Executive Engineer
N. H. Division PWD
Ranikhet

कक्ष अधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

कक्ष अधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

बसागीय बनाविकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेष्वर-गंगोलीहाट-बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा- बागेष्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का दू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक) लम्बाई 36.00 कि०मी०

प्रभावित होने वाले वृक्षों का विवरण

प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु दि० को किये गये संयुक्त निरीक्षण के अनुसार आवेदित वन भूमि तथा नाप भूमि पर प्रभावित होने वाले वृक्षों की गणना की गई व निरीक्षण के दौरान प्रभावित होने वाले वृक्षों की निम्नानुसार गणना की गई।

प्रस्तावित वन भूमि पर पर प्रभावित होने वाले वृक्षों का भूमिवार/प्रजातिवार/व्यासवार विवरण

क्रम सं०	भूमि की श्रेणी	वन ब्लाक/ कम्पार्टमेन्ट/ खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग										योग
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80 से अधिक		
1	आरक्षित वन भूमि	कालीमठ कक्ष सं० 4	चीड़	Pinus roxburghii	25	106	185	129	68	14	10	5	0	542	
			काफल	Myrica exculenta	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
			देवदार	Cedrus Deodara	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	
	आरक्षित वन भूमि	कालीमठ कक्ष सं० 10	चीड़	Pinus roxburghii	39	178	185	64	28	23	22	11	0	550	
			बोंज	Quercus leucotrichophora	0	3	13	17	7	3	0	0	0	43	
	आरक्षित वन भूमि	कालीमठ कक्ष सं० 7	चीड़	Pinus roxburghii	2	70	58	10	8	1	0	0	0	149	
			कालीमठ कक्ष सं० 6	चीड़	Pinus roxburghii	24	75	134	120	44	0	4	1	0	402
		देवदार		Cedrus Deodara	0	2	2	0	1	0	0	0	0	5	
		उत्तीस		Alnus nepalensis	0	1	9	3	0	0	0	0	0	13	
	आरक्षित वन भूमि	कालीमठ कक्ष सं० 5	चीड़	Pinus roxburghii	5	22	36	49	22	6	3	0	0	143	
			काफल	Myrica exculenta	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
		कालीमठ कक्ष सं० 3	चीड़	Pinus roxburghii	2	25	47	30	14	6	2	1	0	127	
2	सिविल सोयम	नगरपालिका	चीड़	Pinus roxburghii	0	24	35	22	3	1	1	0	0	86	
			सुरई		0	1	2	2	0	0	0	0	0	5	
			मेहल		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
			देवदार		0	1	1	1	2	0	0	0	0	5	
			उत्तीस	Alnus nepalensis	0	0	1	1	0	0	0	0	0	2	
			कुकाट		0	2	1	2	1	3	3	0	0	12	
			अकेशिया		0	2	1	2	0	0	0	0	0	5	
			खड़िक	Celtis australis	0	0	2	3	1	3	0	0	0	9	
			तुन	Toona ciliata	0	0	1	2	0	0	4	0	0	7	
	सिविल सोयम	पाण्डेखोला	कुकाट		0	0	0	8	4	4	0	0	0	16	
			चीड़	Pinus roxburghii	15	20	160	140	15	18	12	0	0	380	
			खड़िक	Celtis australis	0	0	2	3	8	2	0	0	0	15	
			भीमल		0	0	2	1	0	0	0	0	0	3	
			तुन	Toona ciliata	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	
	वन पंचायत	पंतगाँव	काफल	Myrica exculenta	4	13	7	1	0	0	0	0	0	0	25
			बोंज	Quercus leucotrichophora	4	10	4	0	0	0	0	0	0	0	18
चीड़			Pinus roxburghii	7	3	5	1	2	2	1	0	0	21		
देवदार			Cedrus Deodara	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2		
बुर्रांरा			rhododendron arboreum	1	1	0	1	0	0	0	0	0	3		
कुकाट				1	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
अयार				1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
शिमिल				1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
तुन			Toona ciliata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
गड़मेहल				1	0	4	1	0	0	0	0	0	6		
नीम			1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
वन पंचायत		डोटियाल गाँव	चीड़	Pinus roxburghii	0	1	5	3	2	2	0	0	0	13	
			बोंज	Quercus leucotrichophora	1	2	1	0	0	0	0	0	0	4	
			तुन	Toona ciliata	1	3	6	9	2	1	0	0	0	22	
			खड़िक	Alnus nepalensis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
			बेडु		0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	
	कुकाट			0	1	0	1	0	0	0	0	0	2		
वन पंचायत	बुराड़ी	चीड़	Pinus roxburghii	0	7	31	62	8	0	0	0	0	108		

प्रभागाय वन अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

वन अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

Executive Engineer
N. H. Division PWD
Ranikhet

क्रम सं०	भूमि की श्रेणी	वन प्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80 से अधिक	योग
3	वन पंचायत	झाड़कोट	चीड़	Pinus roxburghii	0	1	10	18	2	0	0	0	0	31
	वन पंचायत	भेटुली	चीड़	Pinus roxburghii	0	2	4	1	0	0	0	0	0	7
	वन पंचायत	कफड़खान	चीड़	Pinus roxburghii	0	4	48	69	42	8	1	3	0	175
			काफल	Myrica exculta	0	1	2	0	0	0	0	0	0	3
			तुन		0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
			उतीस	Alnus nepalensis	0	0	0	0	2	2	0	0	0	4
			बोंज	Quercus leucotrichophora	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
	वन पंचायत	मैचोड़	चीड़	Pinus roxburghii	2	2	7	11	5	10	2	1	0	40
			बोंज	Quercus leucotrichophora	0	3	0	3	2	1	0	0	0	9
			बुरोश	rhododendron arboreum	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
			तुन	Toona ciliata	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
			उतीस	Alnus nepalensis	0	0	0	0	1	1	0	1	1	4
	वन पंचायत	कोटयुडा	चीड़	Pinus roxburghii	16	15	63	75	77	56	20	3	0	325
			बोंज		0	0	2	3	5	0	2	0	0	12
			काफल	Myrica exculta	1	1	2	2	0	0	0	0	0	6
			उतीस	Alnus nepalensis	0	0	0	1	4	6	8	1	1	21
			देवदार	Cedrus Deodara	0	1	0	1	3	3	2	1	0	11
	वन पंचायत	घनेली	चीड़	Pinus roxburghii	10	10	40	10	0	0	0	0	0	70
		शैलगूँठ	चीड़	Pinus roxburghii	2	6	13	14	12	5	2	0	0	54
			उतीस	Alnus nepalensis	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
			काफल		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
आरक्षित वन भूमि	दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 18	चीड़	Pinus roxburghii	41	44	92	103	31	8	0	0	0	0	319
		बोंज	Quercus leucotrichophora	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
		काफल	Myrica exculta	2	1	6	1	1	0	0	0	0	0	11
		उतीस		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2
		मेहल		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
	दक्षिणी बिन्सर कक्ष सं० 17	चीड़	Pinus roxburghii	16	9	121	110	9	4	0	0	0	0	269
		काफल	Myrica exculta	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	5
		उतीस		0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
		जगरड़ा		0	0	0	3	0	1	0	0	0	0	4
		सिल्वर ओक		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
		सुरई		0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
		तुन	Toona ciliata	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
	योग वन भूमि				228	675	1362	1122	444	196	104	30	2	4163
3	नाप भूमि	बीना	बोंज	Quercus leucotrichophora	1	11	13	1	0	0	0	0	0	26
			चीड़	Pinus roxburghii	0	1	0	1	2	1	0	3	0	8
			काफल	Myrica exculta	0	0	3	1	1	0	0	0	0	5
			कुकाट		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			देवदार	Cedrus Deodara	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
			काफल	Myrica exculta	0	1	0	2	0	0	0	0	0	3
			चीड़	Pinus roxburghii	0	1	9	8	6	2	0	0	0	26
			बेडु		0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
			तुन	Toona ciliata	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3
			कुकाट		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			बोंज	Quercus leucotrichophora	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
			खड़िक	Celtis australis	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
			दाड़िम		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			गड़मेहल		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
			उतीस	Alnus nepalensis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1

प्रभागीय वनाधिकारी

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

अल्मोड़ा वन विभाग, उत्तरांचल प्रदेश

Executive Engineer
N. H. Division PWD
Ranikhet

क्रम सं०	भूमि की श्रेणी	वन प्लाक / कम्पार्टमेंट / खसरा संख्या	प्रजाति	वैज्ञानिक नाम	व्यास वर्ग									
					0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80 से अधिक	योग
	नाप भूमि	अमखोली	बॉज		4	20	7	0	0	1	1	1	0	34
			चीड़	Pinus roxburghii	0	3	7	4	11	6	1	3	0	35
			काफल	Myrica exculenta	1	3	3	1	1	1	0	0	0	10
			उतीस	Alnus nepalensis	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			बुर्रांश	rhododendron arboreum	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
			कुकाट		0	2	0	0	1	0	0	0	0	3
			तुन	Toona ciliata	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2
	नाप भूमि	झाड़कोट	काफल	Myrica exculenta	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3
			चीड़	Pinus roxburghii	0	2	14	19	15	5	3	0	0	58
			देवदार	Cedrus Deodara	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
			कुकाट		0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			तुन	Toona ciliata	0	0	0	0	1	1	1	2	0	5
			बॉज	Quercus leucotrichophora	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3
			खड़िक		0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	नाप भूमि	भैसोड़ी	चीड़	Pinus roxburghii	1	3	12	11	2	1	0	0	0	30
			देवदार		0	0	2	1	1	0	0	0	0	4
		मैचोड़	काफल	Myrica exculenta	0	0	3	4	0	0	0	0	0	7
			बॉज	Quercus leucotrichophora	1	0	2	4	1	1	0	0	0	9
			उतीस		0	0	0	3	0	2	2	1	0	8
	नाप भूमि	कोटयुड़ा	चीड़	Pinus roxburghii	0	0	1	2	2	1	0	0	0	6
			काफल		0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
	नाप भूमि	गधौली	चीड़	Pinus roxburghii	13	12	41	48	24	15	4	0	0	157
			बॉज	Quercus leucotrichophora	0	2	1	4	2	2	0	0	0	11
			बुर्रांश	rhododendron arboreum	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
			उतीस	Alnus nepalensis	0	0	0	2	0	2	2	0	0	6
			देवदार	Cedrus Deodara	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2
			खड़िक	Celtis australis	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
			तुन	Toona ciliata	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2
	नाप भूमि	शैलगूँठ	खड़िक		0	3	4	5	2	0	0	0	0	14
			देवदार	Cedrus Deodara	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
			भीमल		0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
			कुकाट		0	1	1	0	0	0	0	0	0	2
			अनार		0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
अखरोट				0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	
खुमानी				0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	
पर्यो				0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	
चीड़			Pinus roxburghii	0	2	0	1	0	0	0	0	0	3	
नीबु				0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
उतीस			Alnus nepalensis	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
बॉज			Quercus leucotrichophora	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	
तिमिल				0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	
सुरई				0	3	2	1	0	0	0	0	0	6	
मेहल			Pyrus pashia	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	
	योग नाप भूमि				21	87	148	128	79	47	14	10	0	534
	कुल योग				249	762	1510	1250	523	243	118	40	2	4697


 J. K. Singh
 व ३
 A-E


वन क्षेत्रधिकारी
 अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा


 A-G



 Executive Engineer
 N. H. Division PWD
 Ranikhet


 प्रसादीय वनाधिकारी
 अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

ANNEXURE-I

परियोजना का नाम :- राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 309ए के रामेश्वर-गंगोलीहाट-बेरीनाग- चौकोड़ी-काण्डा- बागेश्वर-ताकुला- अल्मोड़ा मोटर मार्ग का दो लेन चौड़ीकीरण लम्बाई 35.07 किमी।

Material Received from hill side cutting 37000.00x6.0x(1.50+2.50)/2		444000.00	Cu-m
40 % for swell factor		177600.00	Cu-m
Total		621600.00	Cu-m
Disposal and use of material	(Qty As per DPR)		
1	Sub base (GSB)	59682.32	Cu-m
2	Wet Mix (WMM)	42065.00	Cu-m
3	R/wall, B/wall, HP Stone Filling	58705.00	Cu-m
4	Protection Work (Gabion Box)	70875.00	Cu-m
	Total	231327.32	Cu-m

Location and Quantity of Dabris Disposal

Location of Dumping Yard	Size of Dumping Yard					Type of Land	Capacity of Dumping Yard	
29° 41'34.37"N 79°41'49.92"E	75	X	20	X	4	Govt. Land	6000.00	Cu-m
	72	X	17	X	3		3672.00	Cu-m
	69	X	15	X	3		3105.00	Cu-m
29°41'20.71"N 79°41'42.38"E	80	X	19.5	X	4	Govt. Land	6240.00	Cu-m
	77	X	16	X	3		3696.00	Cu-m
	74	X	13	X	3		2886.00	Cu-m
29°41'17.13"N 79°41'23.11"E	100	X	25	X	4	Govt. Land	10000.00	Cu-m
	97	X	22	X	3		6402.00	Cu-m
	94	X	19	X	3		5358.00	Cu-m
29°41'10.97"N 79°41'49.57"E	100	X	25	X	4	Govt. Land	10000.00	Cu-m
	97	X	22	X	3		6402.00	Cu-m
	94	X	19	X	3		5358.00	Cu-m
29°41'12.60"N 79°42'3.17"E	100	X	25	X	4	Govt. Land	10000.00	Cu-m
	97	X	22	X	3		6402.00	Cu-m
	94	X	19	X	3		5358.00	Cu-m
29°40'10.14"N 79°42'34.23"E	100	X	25	X	4	Govt. Land	10000.00	Cu-m
	97	X	22	X	3		6402.00	Cu-m
	94	X	19	X	3		5358.00	Cu-m
29°39'52.25"N 79°42'53.83"E	100	X	25	X	4	Govt. Land	10000.00	Cu-m
	97	X	22	X	3		6402.00	Cu-m
	94	X	19	X	3		5358.00	Cu-m
29°39'57.09"N 79°42'52.32"E	100	X	25	X	4	Govt. Land	10000.00	Cu-m
	97	X	57	X	3		16587.00	Cu-m
	94	X	54	X	3		15228.00	Cu-m
29°39'13.69"N 79°39'34.70"E	100	X	60	X	4	Govt. Land	24000.00	Cu-m
	97	X	57	X	3		16587.00	Cu-m
	94	X	54	X	3		15228.00	Cu-m
29°39'0.85"N 79°39'33.39"E	100	X	60	X	4	Govt. Land	24000.00	Cu-m
	97	X	57	X	3		16587.00	Cu-m
	94	X	54	X	3		15228.00	Cu-m
29°38'51.80"N 79°39'27.92"E	100	X	60.10	X	4	Govt. Land	24040.00	Cu-m
	97	X	47	X	3		13677.00	Cu-m
	94	X	44	X	3		12408.00	Cu-m
29°38'24.22"N 79°39'28.23"E	100	X	61.4	X	4	Govt. Land	24560.00	Cu-m
	97	X	58	X	3		16878.00	Cu-m
	94	X	55	X	3		15510.00	Cu-m
Total							394917.00	Cu-m

Location and Quantity of Dabris Disposal

S.No.	Total Dabries	Material Disposal by cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Dumping Zone	balance Dabris
	621600.00	394917.00	231327.32	390272.68	Nil

by
A.A.E.

A.E.

Executive Engineer
N. H. Division PWI
Ranikhet

ANNEXURE-II

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

S.No.	Name of Land Owner & Village	Land in Hac.	Land in Sqm.	Land area being used to dumping yard (Sqm.)	Longitude	Latitude
1	Govt. Land	0.1500	1500.00	0.150	29°41'34.37"N,	79°41'49.92"E
2	Govt. Land	0.1560	1560.00	0.156	29°41'20.71"N,	79°41'42.38"E
3	Govt. Land	0.2500	2500.00	0.250	29°41'17.13"N,	79°41'23.11"E
4	Govt. Land	0.2500	2500.00	0.250	29°41'10.97"N,	79°41'49.57"E
5	Govt. Land	0.2500	2500.00	0.250	29°41'12.60"N,	79°42'3.17"E
6	Govt. Land	0.2500	2500.00	0.250	29°40'10.14"N,	79°42'34.23"E
7	Govt. Land	0.2500	2500.00	0.250	29°39'52.25"N,	79°42'53.83"E
8	Govt. Land	0.2500	2500.00	0.250	29°39'57.09"N,	79°42'52.32"E
9	Govt. Land	0.6000	6000.00	0.600	29°39'13.69"N,	79°39'34.70"E
10	Govt. Land	0.6000	6000.00	0.600	29°39'0.85"N,	79°39'33.39"E
11	Govt. Land	0.6010	6010.00	0.601	29°38'51.80"N,	79°39'27.92"E
12	Govt. Land	0.6140	6140.00	0.614	29°38'24.22"N,	79°39'28.23"E
	Total -	4.221	42210.0	4.221		
				4.221 Hec.		

by
AAE


AAE-


AAE-


Executive Engineer
N.H. Division PWD
Ranikhet

परियोजना का नाम:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा- बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि०मी०

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल- 4.221 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध) - 8442 पौध

प्रथम चरण				
क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	4.221 है०	97.00	409.44
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	4.221 है०	584.00	2465.06
3	कुली दीवार बन्दी (फनिसंग)	4.221 है०	26460.00	111687.66
4	गद्दा खुदान (0.30x0.30x0.45)	8442 गद्दा	7.33	61879.86
5	डी०ए०पी० खाद की लागत (50 ग्राम प्रति गद्दा)	422.10 किग्रा०	19.00	8019.90
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	4.221 है०	485.00	2047.19
7	पौधों का मूल्य	8442 पौध	5.89	49723.38
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	वानरपतिक/स्टोन चैकडैम	4.221 है०	7750.00	32712.75
	वाटर हावेस्टिंग टैंक			
	अन्य कार्य	8442 पौध	200.00	1688400.00
योग प्रथम चरण -				1957345.24

द्वितीय चरण				
1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	4.221 है०		5000.00
2	गद्दा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	8442 गद्दा	1.15	9708.30
3	पौध दुलान कार्य	8442 पौध	6.39	53944.38
4	पौधारोपण व थैलाबन्दी	8442 पौध	2.06	17390.52
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	8442 पौध	0.76	6415.92
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	8442 पौध	1.15	9708.30
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	8442 पौध	1.15	9708.30
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	4.221 है०	4768.00	15094.30
9	रासायनिक दवा प्रति वर्ष	4.221 है०	0.21	0.89
	घास-पूस हटाना	4.221 है०	350.00	1477.35
	सुरक्षा पट्टी बनाना	4.221 है०	225.00	949.73
	प्रचार प्रसार	4.221 है०	400.00	1688.40
	प्रोत्साहन	4.221 है०	200.00	844.20
10	अन्य कार्य	8442 पौध	150.00	1266300.00
योग द्वितीय चरण -				1398230.58
योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -				3355575.81

by
AAE

S.T.
A-G

2020

Executive Engineer
N.H. Division PWD
Ranikhet

वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है0

1	पौध की लागत	8442	पौध	5.50	46431.00
2	पौध दुलान कार्य	8442	पौध	6.00	50652.00
3	पुनः गढ़दे खोदना एवं रोपण कार्य	8442	पौध	3.20	27014.40
4	गढ़दों में गोबर खाद डालना लागत सहित	8442	पौध	1.31	11059.02
5	पौधों की शीतकालीन मलिंग	8442	पौध	1.11	9370.62
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	4.221	है0	468.00	23705.14
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	4.221	है0	310.00	1308.51
योग तृतीय चरण -					169540.69

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)

चतुर्थ चरण (रखे रखवाये कार्य)					
क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई		ईकाई दर (रु०)	योग
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह			90000.00	1080000.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य			1000.00	1000.00
	योग चतुर्थ चरण -				1081000.00

पंचम चरण (रख रखाव कार्य)

पंचम चरण (रखे रखवाये कार्य)					
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह			90000.00	1080000.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य			1000.00	1000.00
					</

षष्ठम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.221	है0	90000.00	1080000.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.221	है0	1000.00	4221.00
योग षष्ठम चरण -					1084221.00

सप्तम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.221	है0	90000.00	1080000.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.221	है0	1000.00	4221.00
योग सप्तम चरण -					1084221.00

अष्टम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.221	है0	90000.00	1080000.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.221	है0	1000.00	4221.00
योग अष्टम चरण -					1084221.00

नवम चरण

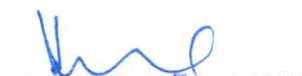
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.221	है0	90000.00	1080000.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.221	है0	1000.00	1000.00
योग नवम चरण -					1081000.00

दशम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	4.221	है0	90000.00	1080000.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	4.221	है0	1000.00	1000.00
योग दशम चरण -					1081000.00


AAE


AE


Executive Engineer
N.H. Division PWD
Ranikhet


प्रभागीय अधिकारी
अल्मोड़ा वन प्रशासन विभाग


वन अधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

कुल धनराशि	प्रथम चरण	1957345.24
	द्वितीय चरण	1398230.58
	तृतीय चरण	169540.69
	चतुर्थ चरण	1081000.00
	पंचम चरण	1081000.00
	षष्ठम चरण	1084221.00
	सप्तम चरण	1084221.00
	अष्टम चरण	1084221.00
	नवम चरण	1081000.00
	दशम चरण	1081000.00
	कुल योग-	11101779.50
	या	11101779.00

by
AAE

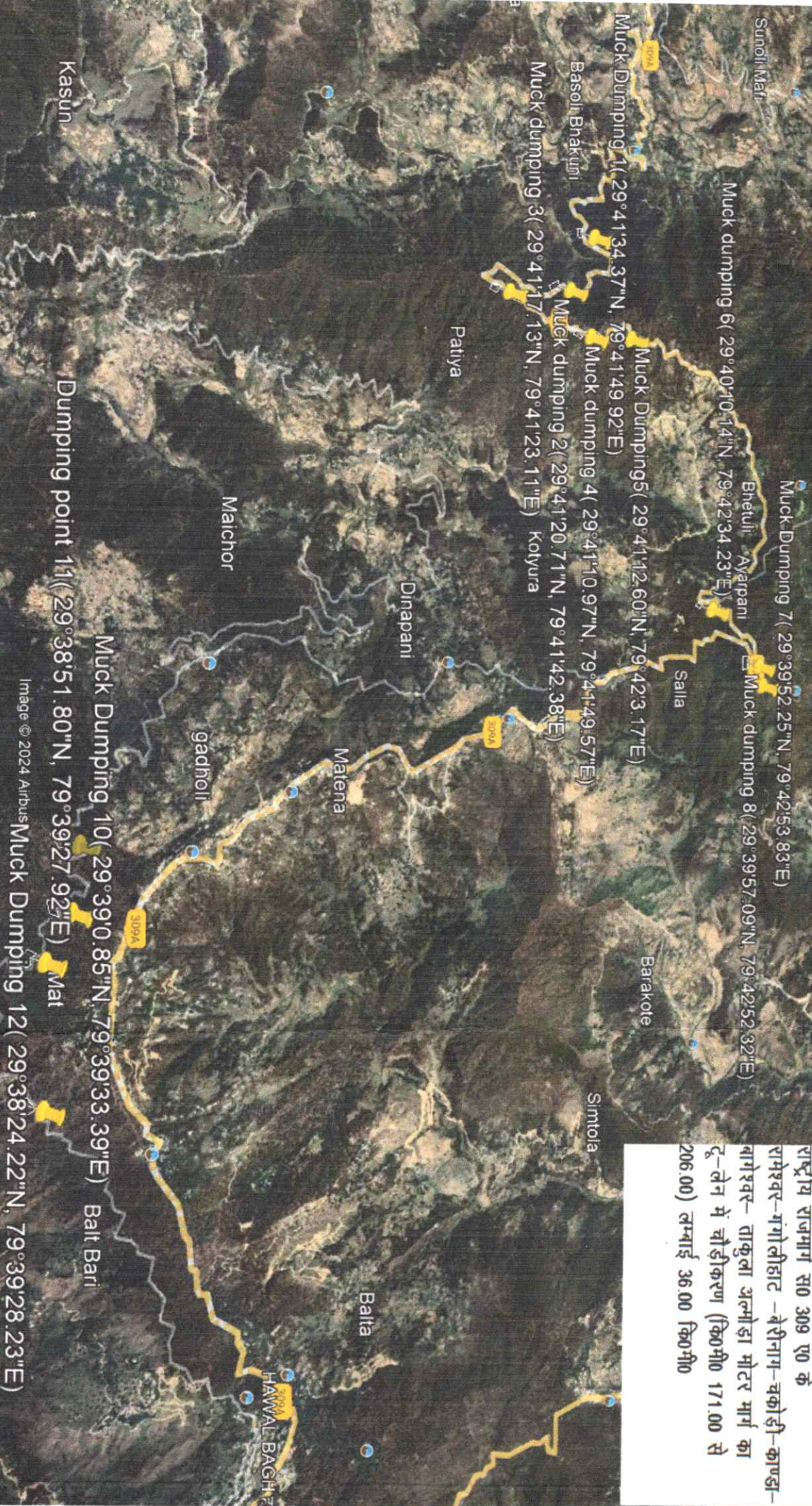

A.E.


Executive Engineer
N.H. Division PWD
Ranikhet


वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोडा वन क्षेत्र अल्मोडा


वसुधायीय वन क्षेत्राधिकारी
अल्मोडा वन प्रभाग अल्मोडा

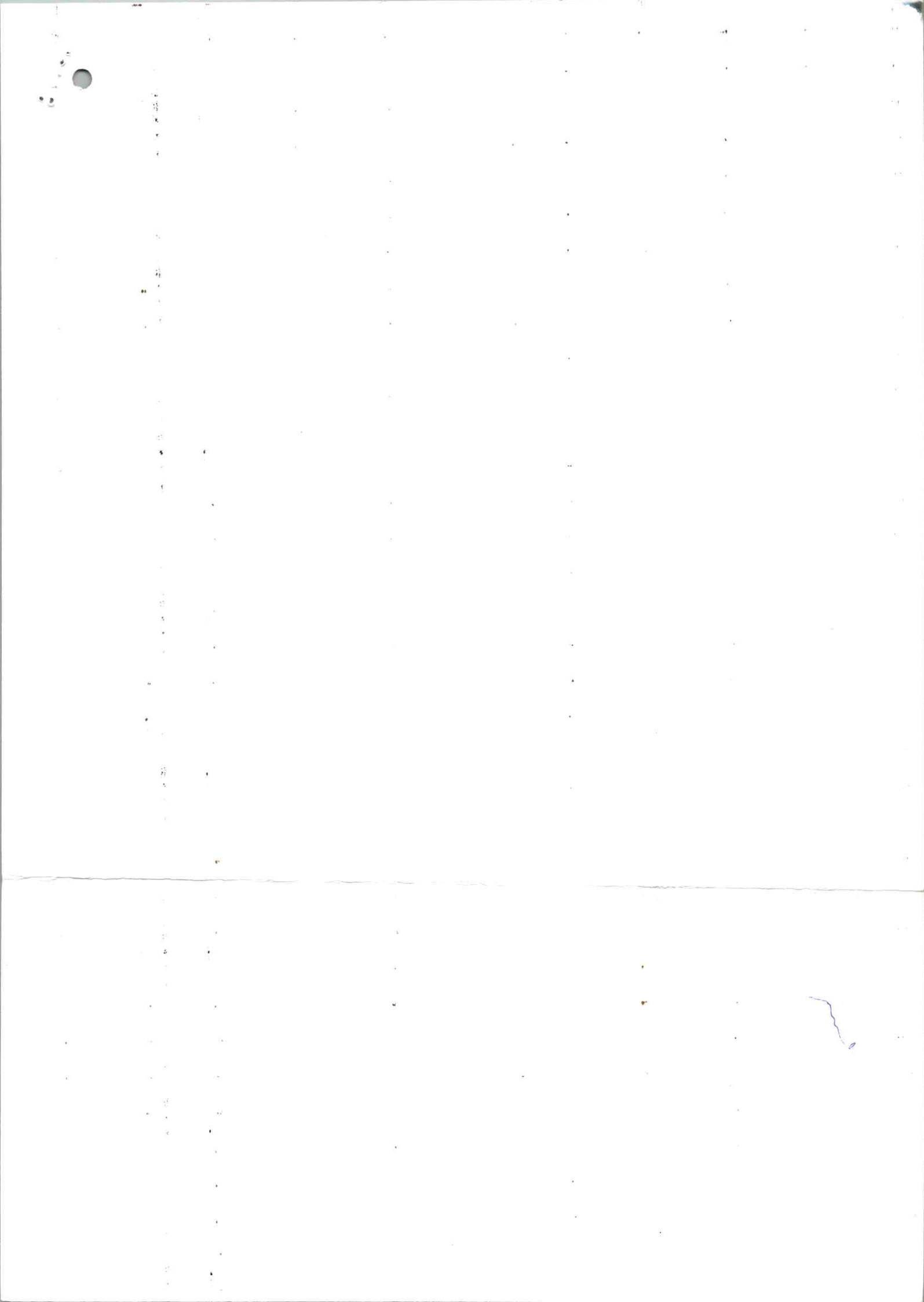
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के
 रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-
 बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का
 टू-लेन में चौड़ीकरण (कि०मी० 171.00 से
 206.00) लग्नाई 36.00 कि०मी०



Google Earth

 A.A.C.
 A.G.
 N.H. Division PWD
 Ramnagar

 न.ह. विभाग प.व.व.
 रामनगर
 न.ह. विभाग प.व.व.
 रामनगर



परिशिष्ट

(देखिय नियम-6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :-

1. क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।
राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट-बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण लम्बाई 36.00 कि०मी० पत्रावली में संलग्न है।
- ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।
- ग) परियोजना की लागत।
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।
38000.00 लाख
पूर्व निर्मित मार्ग का चौड़ीकरण किया जाना है।
- ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जानेके लिए)
संलग्न है।
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।
- | | | |
|--------------------|----------|-------------------|
| 1. आरक्षित भूमि | — | 8.161 है० |
| 2. संरक्षित भूमि | — | 4.839 है० |
| 3. वन पंचायत भूमि | — | 4.775 है० |
| 4. सिविल सोयम भूमि | — | 0.630 है० |
| 5. नाप भूमि | — | 7.416 है० |
| कुल भूमि | — | 25.821 है० |
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है
किसी भी परिवार को नहीं हटाया जाना है।
- क) परिवारों की संख्या
शून्य
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या
शून्य
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)
लागू नहीं है।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)
नहीं

5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके
अनुक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक
वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य
सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के
अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र
आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता
(वचनवद्धता संलग्न की जाये)
निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण
पत्रों/दस्तावेजों का व्यौरा।

संलग्न है।

संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान- अल्मोड़ा।

by
AAE

(श्री० महेन्द्र कुमार)
अधिशाली अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।

प्रस्ताव की क्रम संख्या.....

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-
बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक)
लम्बाई 36.00 कि०मी०

फैक्ट शीट

1. प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल हैक्टेयर में -

आरक्षित वन भूमि	- 8.161 है०	}	कुल वन भूमि 18.405 है०
संरक्षित वन भूमि	- 4.839 है०		
सिविल एवं सोयम वन भूमि	- 0.630 है०		
वन पंचायत भूमि	- 4.775 है०		
निजी भूमि	- 7.416 है०		
योग	- 25.821 है०		

2. प्रस्तावक विभाग का नाम -राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,रानीखेत।

3. वन प्रभाग का नाम -अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा।

- | | |
|--|--------------|
| 4. प्रस्ताव बाईडिंग किया गया है - | ✓
हाँ/नही |
| 5. प्रस्ताव में विषय सूची भरी गई है - | ✓
हाँ/नही |
| 6. क्या भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2 व 3 के सभी बिन्दुओं की सूचना भरी गयी है | ✓
हाँ/नही |
| 7. क्या प्रारूप में वांछित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है | ✓
हाँ/नही |
| 8. प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का धनत्व दर्शाया गया है | ✓
हाँ/नही |
| 9. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण पत्र संलग्न है | ✓
हाँ/नही |
| 10. बॉज प्रजाति के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन
संरक्षक का स्थलीय निरीक्षण प्रमाण पत्र संलग्न है | ✓
हाँ/नही |
| 11. प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा
उन्हे कम करने का प्रयास किया गया है | ✓
हाँ/नही |

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-
बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक)
लम्बाई 36.00 कि०मी०

13. संरेखन में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक

रूप से काटे जाने वाले वृक्षों की सूची संलग्न है

✓
हाँ/नहीं

14. क्या वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है

✓
हाँ/नहीं

15. क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता
प्रमाण पत्र संलग्न है

✓
हाँ/नहीं

16. क्या मानचित्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया है

✓
हाँ/नहीं

17. प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर परियोजना के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों की
वृक्षारोपण योजना संलग्न है

✓
हाँ/नहीं

18. क्या परियोजना क्षेत्र वन्य जीवों के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है

✓
हाँ/नहीं

19. प्रस्तावित क्षेत्र हाथी कॉरीडोर का हिस्सा है

✓
हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का प्रमाण पत्र संलग्न है

✓
हाँ/नहीं

20. क्या प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा गया है

✓
हाँ/नहीं

21. प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया
जाना है (यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बनाया जाना है तो पूर्व में जारी

भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करे - संलग्न है।

22. क्या मानचित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-अलग रंगों से भरा गया है

✓
हाँ/नहीं

23. यदि सड़क का आरम्भिक बिन्दु किसी मार्ग से निकलता है तो उस मार्ग को
मानचित्र पर दर्शाया गया है

✓
हाँ/नहीं

24. क्या प्रस्तावित परियोजना में संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ है

✓
हाँ/नहीं

25. यदि उल्लंघन हुआ है तो पूर्ण स्थिति वर्णित करते हुए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों

के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय (उल्लंघन नहीं हुआ है।)

26. सड़क निर्माण हेतु तलाशी गयी अन्य सम्भावनाएँ/वैकल्पिक संरेखन मानचित्र पर
दर्शाये गये हैं

✓
हाँ/नहीं

परियोजना का विवरण:- राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के रामेश्वर-गंगोलीहाट -बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-
बागेश्वर- ताकुला अल्मोड़ा मोटर मार्ग का टू-लेन में चौड़ीकरण(कि०मी० 171.00 से कि०मी० 206.00तक)
लम्बाई 36.00 कि०मी०

27. वैकल्पिक संरेखनों को निरस्त किये जाने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)संलग्न है
28. लागत लाभ विश्लेषण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है
(5 हँ० अधिक के प्रकरणों में लागू होगा) हँ/नही
29. मानचित्र व बारचार्ट में एकरूपता है हँ/नही
30. मलुवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है
अथवा हँ/नही
- मलुवे के निस्तारण के संबंध में प्रमाण पत्र संलग्न है ✓
हँ/नही
31. राज्य सरकार द्वारा लगायी जाने वाली शर्तों का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न है हँ/नही
32. क्या प्रस्तावत में संलग्न प्रमाण पत्रों की फोटों प्रतियाँ मूल में संलग्न है
यदि छाया प्रतियाँ संलग्न की गयी है तो क्या वे सत्यापित है ✓
हँ/नही
33. यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण पत्र संलग्न है हँ/नही
34. वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है हँ/नही
35. क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है हँ/नही
36. क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण पत्र संलग्न है हँ/नही
37. मलुवा निस्तारण हेतु प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र की वे लो०नि०वि० द्वारा
प्रस्तावित मलुवा निस्तारण योजना से सहमत है ✓
हँ/नही
38. प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण पत्र की वृक्षारोपण हेतु जो क्षेत्र चयनित किया गया है
वह प्रबन्धकीय एवं वृक्षारोपण दृष्टिकोण से उचित है ✓
हँ/नही

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित
किया गया है व समस्त प्रमाण पत्र/सूचनायें संलग्न कर दी गयी है।


अपर सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


सहायक अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।


अधिशाली अभियन्ता,
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०,
रानीखेत।